



**HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR**



S.B. Criminal Miscellaneous 2nd Bail Application No. 3347/2026

Chetanraj Swani S/o Late Durgesh Kumar Swami, Aged About 39 Years, R/o Plot No. 28, Krishna Colony, Vidhansabha Nagar, Village Dholai, Police Station Muhana, Jaipur, District Jaipur South, Rajasthan.

(At Present Confined In Sub Jail Gangapur City).

-----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through PP

-----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Mukesh Pal Jadoun, Adv. Mr. Anand Sharma, Adv. Mr. Anurag Chahar, Adv.
For Respondent(s)	:	Ms. Manju Dave, PP

HON'BLE MR. JUSTICE UMA SHANKER VYAS

Order

27/02/2026

प्रार्थी-अभियुक्त की ओर से अपनी नियमित जमानत हेतु यह द्वितीय जमानत प्रार्थना पत्र बी.एन.एस.एस. की धारा 483 (धारा 439 दण्ड प्रक्रिया संहिता) के अन्तर्गत पुलिस थाना-गंगापुर सिटी, जिला-गंगापुर सिटी में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या-29/2024 अपराध अन्तर्गत धारा 420, 406, 467, 468, 471 भा.दं.सं. में पेश किया गया है।

प्रार्थी-अभियुक्त का प्रथम जमानत आवेदन नवीन जमानत आवेदन पेश करने की स्वतंत्रता के साथ वापिस लिया गया था।

विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी-अभियुक्त ने तर्क दिया कि अभियुक्त निर्दोष है, उसे मिथ्या रूप से आलिप्त किया है, अभियुक्त दिनांक 27.08.2025 से अभिरक्षा में है, मामला सिविल प्रकृति का है, विचारण में समय लगेगा, अतः प्रार्थी-अभियुक्त को जमानत का लाभ दिये जाने का निवेदन किया।



इसके विपरीत विद्वान लोक अभियोजक ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए प्रार्थी-अभियुक्त का यह जमानत आवेदन खारिज किये जाने का निवेदन किया।

दोनों पक्षों की बहस के संदर्भ में अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया।

वर्तमान मामले में प्रार्थी-अभियुक्त के विरुद्ध यह आरोप है कि उसने परिवादी को निवेश पर बेहतर प्रतिफल राशि दिलाने का झांसा देकर 22,70,000/-रूपये प्राप्त कर लिये। परिवादी का यह भी आरोप है कि इस राशि पर 3 रूपये प्रति सैंकड़ा की दर से ब्याज दिये जाने का आश्वासन अभियुक्त द्वारा दिया गया था, लेकिन बाद में न तो यह राशि लौटाई और न ही प्रतिकर दिया गया और इस प्रकार से उसके साथ धोखाधड़ी की। प्रकरण में अभियुक्त दिनांक 27.08.2025 से अभिरक्षा में है, शेष विचारण में समय लगेगा।

अतः प्रकरण के तथ्यों, परिस्थितियों, प्रस्तुत तर्कों एवं प्रार्थी-अभियुक्त की अभिरक्षा अवधि को दृष्टिगत रखते हुए प्रकरण के गुण-दोषों पर टिप्पणी किये बिना प्रार्थी-अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत होता है।

परिणामतः प्रार्थी-अभियुक्त **चेतनराज स्वामी पुत्र स्व. दुर्गेश कुमार स्वामी** की ओर से प्रस्तुत यह द्वितीय जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर आदेश दिया जाता है कि प्रार्थी इस मामले में विद्वान विचारण न्यायालय के संतोषप्रद, उनके न्यायालय या अंतरिती न्यायालय में नियत तिथियों पर एवं जब भी उसे बुलाया जाए, उपस्थिति हेतु एक लाख रूपये का बन्ध-पत्र तथा पचास-पचास हजार रूपये की दो सुदृढ प्रतिभूतियां प्रस्तुत कर प्रमाणित करावे तथा उसकी किसी अन्य प्रकरण में आवश्यकता न हो, तो हस्तगत प्रकरण में उसे जमानत पर रिहा कर दिया जाए।

(UMA SHANKER VYAS),J